

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10 (43) नविवि/3/2000-04685

जयपुर,दिनांक : यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.11.2003 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अंतर्गत अनुमोदित बाड़ी मास्टर प्लान 2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष-2023 को विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.12.2024 द्वारा एक वर्ष/दिनांक 31.12.2025 अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो पहले हो, तक बढ़ाया गया था, जो 31.12.2025 को समाप्त हो गयी है, को एतद्वारा वर्ष-2031 तक के लिये बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.01.2000 के द्वारा अधिसूचित "बाड़ी नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, धौलपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बाड़ी (जिला-धौलपुर)।
11. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नविवि को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं तत्पश्चात् गजट प्रकाशन की कॉपी विधानसभा शाखा को विधानसभा की पटल पर रखने हेतु भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम